न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज०
पीठासीन अधिकारी : श्री जवाहर राम चौधरी, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 261/2019(174/17)
GCMS NO. : 2017/00021

बनाम

–:वादी:–	–: प्रतिवादीगण:–
1. ओगड़राम पुत्र दीपा जाति–सीरवी निवासी–बेरा भादवा, आगेवा तहसील–जैतारण जिला–पाली राज०	1. तहसीलदार, जैतारण जिला–पाली 2. हल्का पटवारी, आगेवा तहसील–जैतारण,जिला–पाली राज.। 3. नारायण पुत्र धन्ना 4. भंवराई बेवा मांगीलाल 5. अशोक पुत्र मांगीलाल 6. दिनेश पुत्र मांगीलाल जातियान– सीरवी, निवासीगण– बेरा भादवा आगेवा, तहसील– जैतारण, जिला– पाली (राज०)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88, 92ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 LR Act. **तारीख रजू:.01/09/2017**

उपस्थित:– 1. श्री भगवती प्रसाद पटेल, अधिवक्ता वादी।
2. सरकारी पैरोकार तहसीलदार, जैतारण प्रतिवादी।
3. श्री हरि ओम पारीक, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉक:– 04/01/2021**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 136 LR Act. के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा आगेवा बेरा भादवा ग्राम आगेवा तहसील जैतारण जिला–पाली राज. में स्थित है जिस पर वादी का मौके पर अपने हिस्से अनुसार कब्जा काश्त है, और बिना किसी रोक टोक के शान्तिपूर्वक ऐज ऑफ राईट के उपयोग व उपभोग करता आ रहा है वाद में वर्णित वंशावली के अनुसार इन्द्रा के जो दायन्दा पुत्र धन्ना व दीपा हुए थे। जो फौत हो चुके है। स्वर्गीय धन्ना पुत्र इन्द्रा के एक ही जायन्दा पुत्र हुआ था, और स्वर्गीय दीपा के तीन पुत्र ओगड़, तेजा व मांगीलाल हुए थे। इसमें से तेजा कुंवारा ही फौत हो गया था ,तो पीछे वादी ओगड़राम व मांगीलाल ही जायन्दा पुत्र रहे। जो वंशावली से स्पष्ट है। वादी की [illegible] एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि का विवरण निम्न प्रकार है कि खसरा [illegible] किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 478 रकबा 47 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 481 रकबा 19–06 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 482 रकबा 02–06 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 484 रकबा 16–16 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 480 रकबा 03–02 बीघा किस्म गैर मुमकिन बेरा उक्त आराजी की कृषि भूमि में वादी ओगड़राम का हिस्से माफिक मौके पर कब्जा काश्त है। और शान्तिपूर्वक बिना किसी रोक टोक के उपयोग उपभोग करता आ रहा है। उक्त आराजी की कृषि भूमि में सम्वत 2016

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.01.07 18:06:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

स 2019 से लेकर संवत 2032 से 2035 तक लगातार वादी के पिता दीपा व बड़े पिता धन्ना का नाम राजस्व रेकर्ड में लगातार दर्ज है। इसके बाद में प्रतिवादी संख्या 02 हल्का पटवारी, आगेवा ने जरिये म्यूटेशन संख्या 379 के वादी ओगड़राम के पिता का नाम वल्दियत के रूप में धन्ना अमल दरामद कर दिया, जो गलत अमल दरामद किया है, रोग एन्ट्री है जो स्लीप ऑफ पैन की तारीफ में आता है। जिसे जरिये घोषणा के दुरूरत किया जाना लाजमी है। वादी इसलिए हल्का पटवारी आगेवा ने म्यूटेशन संख्या 379 गलत भरा है एवं प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार जैतारण ने बिना कोई वारिसान की जांच किये एवं बिना किसी सह खातेदार के बयान लिये ही गलत अमल दरामद कर दिया, जो काबिल निरस्त के है जो निरस्त फरमाकर गलत वलदियत धन्ना की जगह ओगड़राम पुत्र दीपा दुरूस्त करने का आदेश फरमावे। वादी की वलदियत में ओगड़राम पुत्र दीपा है। जिसके प्रभाव के रूप में राशन कार्ड, चुनाव परिचय पत्र, आधार कार्ड, फोटो स्टेट प्रति वादपत्र के साथ संलग्न है। वादी का उक्त आराजी की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में संवत 2036 से 2074 तक लगातार रोंग एन्ट्री चली आ रही है। जिसमें वादी को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वादी ज्यादा पढा लिखा नहीं है। अनपढ है। वादी को बैंक से केसीसी बनाने एवं कृषि भूमि में अच्छी किस्म की खाद डालकर उपजाऊ बनाने हेतु ऋण प्राप्त करने में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हर जगह सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्य करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वादी की गलत वलदियत ओगड़राम पुत्र धन्ना की जगह ओगड़राम पुत्र दीपा का नाम जरिये दुरूस्ती किया जाना कानूनी रूप से आवश्यक है। जो दुरूस्त करने का आदेश फरमावे। वादी ओगड़राम की वलदियत में धन्ना लिखा हुआ है, जिसे दुरूस्त किया जाकर सही नाम ओगड़राम पुत्र दीपा किया जाना आवश्यक है। यदि सही नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं किया तो वादी अपने कानूनी जायज हक हकूको से वंचित हो जायेगा। वादी को प्रत्येक सरकारी अर्द्धसरकारी योजनाओं का फायदा लेने में परेशानी होगी और अपूर्णीय क्षति होगी और बार-बार कानूनी कार्यवाही करनी पड़ेगी। जिससे खर्चे से जेर बार होना पड़ेगा। वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात एवं मौके पर कब्जा काश्त से प्रथमदृष्टतया मामला वादी के हक में बखुबी साबित है। और सुविधा का सन्तुलन भी वादी के हक में होने से यह वादपत्र घोषणा व दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है, बिनाय दावा दिनांक 18.08.2017 को वादी द्वारा राजस्व रेकर्ड में वलदियत सुधारने हेतु निवेदन किया, जो प्रतिवादीगण द्वारा मना करने पर वादी ने हल्का पटवारी से म्यूटेशन की प्रमाणित प्रति दिनांक 18.08.2017 को प्राप्त करने एवं जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने पर बमुकाम ग्राम आगेवा में पैदा हुआ जो अन्दर म्याद श्रीमान के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में होने से पेश किया जा रहा है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर [illegible] जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 ने तहसीलदार जै[illegible] ने जवाबदावा प्रस्तुत किया, जो सा.मि. है। प्रतिवादी संख्या 03 [illegible] वकालतनामा पेश हुआवादी ने वाद के समर्थन में स्वयं का साक्ष्य शपथपत्र पी.डब्ल्यू-1 तथा पी.डब्ल्यू- 2 गवाह अब्बाराम गोद पुत्र लाबुराम, पी.डब्ल्यू- 3 गवाह भूराराम पुत्र भियाराम के साक्ष्य शपथपत्र पेश किये, जो सा.मि. है। साक्ष्य शपथ पत्र P/W-1, P/W-2 व P/W-03 व के द्वारा वादी व गवाहों ने कथन किया कि इन्द्रा के जायन्दा पुत्र धन्ना एवं दीपा हुए जो फौत हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.01.07 18:06:00 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

चुके है। स्वर्गीय धन्ना के एक ही पुत्र नारायण हुआ था तथा स्वर्गीय दीपा के तीन पुत्र ओगड़, तेजा व मांगीलाल हुए थे। इनमें से तेजा कुंवारा ही फौत हो गया था जिससे दीपा के पीछे 02 पुत्र ओगड़ व मांगीलाल रहे।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। बहस में वकील वादीगण ने जाहिर किया कि धन्ना व दीपा के फौत हो जाने से जारी फौतदेगी म्यूटेशन संख्या 373 में हल्का पटवारी द्वारा वादी ओगड़ाराम की वल्दियत गलत लिख दी यानि ओगड़राम पुत्र धन्नाराम दर्ज कर दिया जो गलत इन्द्राज है। इसकी जगह सही नाम ओगड़राम पुत्र दीपाराम के नाम से दर्ज करना था, जो गलत दर्ज किया उसे दुरस्त किया जाना आवश्यक है।

प्रतिवादी संख्या 03 से 06 की ओर वकील से वकील हरिओम पारीक द्वारा वकालतनामा पेश कर जाहिर किया कि वाद वादी की इस्तदुआं अनुसार डिक्री किया जाता है तो आपत्ति नहीं हैं।

उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि वादी ओगड़राम, धन्नाराम का जायन्दा पुत्र न होकर दीपाराम का जान्दा पुत्र है। राजस्व रेकर्ड में वादी की वाल्दियत गलत दर्ज है। जिसे दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। उक्त दुरूस्ती बाबत् प्रतिवादीगण द्वारा भी कोई आपत्ति पेश नहीं करते हुए अपनी सहमति प्रदान की है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा आगेवा बेरा भादवा ग्राम आगेवा तहसील जैतारण जिला–पाली राज. खसरा नंबर 435 रकबा 158–10 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 478 रकबा 47 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 481 रकबा 19–06 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 482 रकबा 02–06 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 484 रकबा 16–16 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 480 रकबा 03–02 बीघा किस्म गैर मुमकिन बेरा में बतौर काश्तकार दर्ज वादी के पिता के नाम की अशुद्ध प्रविष्टि ओगड़राम पुत्र धन्ना के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम ओगड़राम पुत्र दीपा दुरूस्त करने की घोषणा करते हुए इसी मुताबिक वाद वादी डिक्री किया जाता है। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो जो कि इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी निमित निर्णय होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
(फर्स्ट ट्रेक) जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनॉक 04/01/2021 को सर–ए–इजलास में सुनाया गया।

Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.01.07 18:06:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
(फर्स्ट ट्रेक) जैतारण
जैतारण (जिला–पाली)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रैक) मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री जवाहर राम चौधरी, आर0ए0एस0

-:वादीः-

1. ओगड़राम पुत्र दीपा जाति-सीरवी निवासी-बेरा भादवा, आगेवा तहसील-जैतारण जिला-पाली राज0

बनाम

-: प्रतिवादीगणः-

1. तहसीलदार, जैतारण जिला-पाली
2. हल्का पटवारी, आगेवा तहसील-जैतारण,जिला-पाली राज.।
3. नारायण पुत्र धन्ना
4. भंवराई बेवा मांगीलाल
5. अशोक पुत्र मांगीलाल
6. दिनेश पुत्र मांगीलाल जातियान- सीरवी, निवासीगण- बेरा भादवा आगेवा, तहसील- जैतारण, जिला- पाली (राज0)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

मु0न0 : 261/2019(174/2017)

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-........ व हाजरी श्री भगवती प्रसाद पटेल, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व सरकारी पैरोकार तहसीलदार जैतारण, श्री हरि ओम पारिक अधिवक्ता प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद-वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा आगेवा बेरा भादवा ग्राम आगेवा तहसील जैतारण जिला-पाली राज. खसरा नंबर 435 रकबा 158-10 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 478 रकबा 47 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 481 रकबा 19-06 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 482 रकबा 02-06 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 484 रकबा 16-16 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नंबर 480 रकबा 03-02 बीघा किस्म गैर मुमकिन बेरा में बतौर काश्तकार दर्ज वादी के पिता के नाम की अशुद्ध प्रविष्टि ओगड़राम पुत्र धन्ना के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम ओगड़राम पुत्र दीपा दुरूस्त करने की घोषणा करते हुए इसी मुताबिक वाद वादी डिक्री किया जाता है। पत्रावली इसी निमित निर्णय होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल [illegible]

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें [illegible] शहर .... -......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल या[illegible]......को [illegible] करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 04/01/2021 को जारी किया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जैतारण

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)

जैतारण (जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary

Date: 2021.01.07 18:06:00 IST

Reason: SelfAttested